



क.रा.वी.नि.
ESIC

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
Ministry of Labour & Employment, Govt. of India



मिडिकल महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल, कलबुरगी
MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, KALABURAGI
सेडम रोड कलबुरगी
SEDAM ROAD KALABURAGI-585106
Ph No 08772 265546 E mail dr.mun. @kalaburagi. gov. in

फाइल /File No.532/ESICMC/GLB/U/26/11/2014/PATHOLOGY तारीख /Date: 11 /07/2024

को/To,
M/S, J.K Biomed,
#157, 1st Floor, 12th Main road,
Nagendra Block, Girinagar BSK 3rd Stage,
Bengaluru-560050

मैडम / Madam/ सर /Sir.

विषय /Sub: सिस्मेक्स 3 पार्ट (एक्सपी-100) और सिस्मेक्स 5 पार्ट (एक्सएन 350) एनालाइजर के लिए वार्षिक रखरखाव कार्य आदेश के संबंध में। Annual Maintenance work order for Sysmex 3 Part (XP-100) and Sysmex 5 part (XN-350) Analyzers req.

संदर्भ / Ref: आपकी फर्म द्वारा प्रस्तुत कोटेशन-एराजेकेबी/ 2024-25 /05 दिनांक/ दिनांक 05/06/2024/Quotations-SJKB/2024-25/05 submitted by your firm दिनांक/ Dated 05/06/2024.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, सक्षम प्राधिकारी ने हमारे अस्पताल के लिए निम्नलिखित उपकरणों के लिए वार्षिक वार्षिक रखरखाव अनुबंध को मंजूरी दे दी है, जैसा कि नीचे बताया गया है/ With reference to the above subject, the competent authority has accorded approval for Annual Maintenance contract for the following equipment's for our hospital as detailed below:

क्रम संख्या/ SL.NO	उपकरण का नाम और विभाग/ EQUIPMENT NAME & DEPARTMENT	मात्रा/ QTY	एएमसी यूनिट मूल्य / AMC UNIT PRICE (₹)	जी एस टी / GST	एएमसी और जी एस टी के साथ यूनिट मूल्य /AMC Unit Price with GST (₹)	एएमसी और जीएसटी सहित कुल कीमत / Total AMC Price including GST (₹)
		A	B	C	D=(B+C)	E=(D*A)
1	Sysmex 3 Part Analyzer Model: XP-100	01	23000/-	18%	27140/-	27,140/-
2	Sysmex 5 Part Analyzer Model: XN-350	01	1,10,000/-	18%	1,29,800/-	1,29,800/-
कुल योग /Grand Total						1,56,940/-

रुपये/ Rupees: एक लाख छप्पन हजार नौ सौ चालीस रुपये मात्र/One Lakh Fifty six Thousand Nine Hundred and Forty Rupees Only जीएसटी सहित /including GST.

एएमसी की वैधता निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन 01 वर्ष के लिए है/ The VALIDITY of AMC is for 01 Year subjected to the following terms and conditions:

नियम और शर्तें /Terms & Conditions:

1. कोटेशन के अनुसार एक वर्ष में निवारक रखरखाव दौरे और असीमित ब्रेकडाउन दौरे किए जाने की आवश्यकता है

- Preventive maintenance visits and unlimited breakdown visits in a year needs to be carried out as per the quotation
2. समयबद्ध तरीके से सेवा अनुरोध को पूरा करने और एमसी अवधि के दौरान समय पर सर्विसिंग / दोषों के सुधार को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में समर्पित तकनीकी सेवा कर्मियों / इंजीनियरों को नामित / तैनात किया गया है।/ Adequate number of dedicated technical service personals / engineers are designated / deployed for attending to the service request in a time bound manner and for ensuring Timely Servicing / rectification of defects during AMC period.
 3. निवृत्त उपकरणों को ठीक और ब्रेकडाउन वीस के दौरान उपकरण सेवा रिपोर्ट दो प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए। एक प्रति उपकरणक को और दूसरी अध्यासदाशरी कार्यालय को/ Service reports generated during preventive maintenance visits and breakdown visits should be submitted in duplicate. One copy to the Head of the department and other to the undersigned office.
 4. यदि इस अस्पताल के परिसर के भीतर उपकरण की मरम्मत नहीं की जा सकती है और मरम्मत के लिए इस अस्पताल से बाहर ले जाया जाना है, तो सेवा रिपोर्ट के साथ एक पत्र इस कार्यालय में जमा करना होगा और "गेट" के रूप में अनुमति देनी होगी। वरन् इस कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। गेट पास प्राप्त होने के बाद ही मशीन को बाहर निकालना होगा। In case the equipment cannot be repaired within the premises of this hospital and to be taken out of this hospital for the repair, a letter along with the service report to be submitted to this office and the permission in the form of a "Gate Pass" will be issued by this office. The machine should be taken out only after the receipt of Gate Pass.
 5. एमसी अवधि के दौरान सभी सॉफ्टवेयर अपडेट (यदि कोई हो) नि:शुल्क प्रदान किए जाने चाहिए।/ All software updates (if any) should be provided free of cost during AMC period.
 6. यदि उपकरण को अंशांकन की आवश्यकता है, तो फर्म वारंटी/एमसी के दौरान अनुबंध के हिस्से के रूप में जहां तक संभव हो अस्पताल के भीतर अंशांकन के लिए जिम्मेदार होगी।/ If the equipment needs calibration, the firm shall be responsible for calibration within the hospital as far as possible as the part of the contract during warranty/AMC.
 7. दंड का प्रावधान:- उपकरण खराब होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने के 24 घंटे के भीतर खराबी को दूर करना होगा। एमसी अवधि के दौरान यदि शिकायत दर्ज करने के एक सप्ताह के भीतर उपकरण को कार्यात्मक क्रम में बहाल नहीं किया जाता है, तो उपकरण के खराब रहने की अवधि के लिए प्रति दिन उपकरण की एमसी की कुल लागत का 0.5% जुर्माना लगाया जाएगा। खरीदार को प्रदर्शन सुरक्षा से या अगले एमसी भुगतान के दौरान एसी सभी जुर्माना राशि वसूल करने का अधिकार होगा।/ Penalty clause:- In the event of equipment going out of order the fault shall have to be attended within 24 hours of lodging the complaint. During AMC period in case the equipment is not restored in functional order within a week of lodging a complaint, a penalty of 0.5% of total cost of AMC of the equipment per day for the period of equipment remaining out of order will be levied. Buyer shall have a right to recover all such penalty amount from the Performance Security or during the next AMC payment.
 8. आइटम की एमसी में भाग लेने के दौरान शामिल पैकेजिंग, बीमा, परिवहन और कोई अन्य आकस्मिक व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।/ Packaging, insurance, transport and any other incidental expenditure involved during attending AMC of the item shall be borne by the supplier
 9. उपयोगकर्ता विभाग से संतोषजनक इस्टालेशन/कमीशनिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से संसाधित किया जाएगा (कृपया प्राप्तकर्ता को चालान के साथ बैंक विवरण प्रदान करें)।/ Payment will be processed through RTGS/NEFT (Please provide Bank details to the consignee along with invoice) only after obtaining satisfactory certificate from the user department
 10. बिलिंग आपके कोटेशन के अनुसार होगी और भुगतान की व्यवस्था के लिए तीन प्रतियों में डीन, ईएसआईसी एमसी एड हॉस्पिटल, कालाबुरागी-585106 के नाम पर चालान जमा करना होगा।/Billing will be as per your quotation and to submit the invoice in the name of Dean, ESIC MC & Hospital, Kalaburagi-585106 in triplicate for arranging payment.
 11. एमसी के संतोषजनक समापन के बाद भुगतान अर्धवार्षिक (हर छह महीने में) किया जाएगा। कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।/ Payment will be made half yearly (every six months) after satisfactory completion of AMC. No Advance payment will be made.
 12. यदि उपकरण को अंशांकन की आवश्यकता है, तो फर्म मरम्मत/सर्विसिंग/वारंटी/एमसी/सीएमसी के दौरान अनुबंध के हिस्से के रूप में जहां तक संभव हो सके परिसर के भीतर अंशांकन के लिए जिम्मेदार होगी।/If the equipment needs calibration, the firm shall be responsible for calibration within the premises as far as possible as

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।/ This issues with the approval of competent authority.

Signed by Anil N S

Date: 11-07-2024 15:30:21

स्टोर प्रबंधक / Store Manager

ईएसआईसी एमसी और अस्पताल/ESIC MC & Hospital

कलबुर्गी - 585 106/ Kalaburagi - 585 106.

में कॉपी / Copy to:-

1. उपनिदेशक, वित्त एवं लेखा शाखा को सूचना एवं कार्यवाही हेतु / Deputy Director (I & A), for information and action.
2. उपनिदेशक, रोकड शाखा, आवश्यकता हेतु / Deputy Director, Cash branch for needful.
3. आवश्यकतानुसार उपयोगकर्ता विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख / Prof & HoD of the User Department for needful.
4. कार्यालय प्रति / Office copy.